बैंक ऑफ इंडीया
डेबिट कार्ड
उपयोग हेतु महत्वपूर्ण निबंधन एवं शर्ते

1. परिभाषा

क) खाता/खाते का अर्थ होगा बैंक द्वारा नमित किया गया बचत और / या चालू / ओवरड्राफ्ट खाता जो कार्ड के उपयोग के माध्यम से खाता/ खाते के परिचालन हेतु पात्र रहेगा।

ख) खाता विवरण का अर्थ होगा, बैंक द्वारा कार्डधारक को जारी की गई खाता विवरणी या पास बुक जिसमे किये गये लेन-देन और खाते मे यथा तारिख को शेष राशि, और ऐसी अन्य कोई जानकारी जिसे बैंक योग्य समझे, दी जाएगी।

ग) एटीएम का अर्थ होगा ऐसी स्वयचलित टेलर मशीन जो भारत या विदेशो मे, चाहे बैंक की हो या विनिर्दिष्ट साझा नेटवर्क की हो, जिसमे अन्य के साथ-साथ कार्डधारक बैंक मे रखे गये अपने खाते से निधि प्राप्त करने के लिए अपना कार्ड उपयोग मे ला सकता है।

घ) बैंक का अर्थ होगा बैंक ऑफ इंडीया, एक राष्ट्रीयकृत बैंक जिसका प्रधान कार्यालय जी ब्लॉक, प्लॉट नं. सी-५, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पु), मुंबई - ४०००५१ मे स्थित है और उसकी शाखाए भारत और विदेशों मे है।

ङ) कार्ड का अर्थ होगा बैंक ऑफ इंडीया, डेबिट कार्ड।

च) कार्डधारक का अर्थ होगा बैंक का वह ग्राहक जिसे कार्ड जारी किया गया है और जो कार्ड रखने के लिये प्राधिकृत है।

छ) प्रभार का अर्थ होगा कार्डधारक द्वारा वस्तु या सेवाओ की खरीद के लिए कार्ड पर खर्च किया गया कोई प्रभार या कोई अन्य ऐसा प्रभार जो समय-समय पर बैंक द्वारा शामिल किया जाए।

ज) अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन का अर्थ होगा कार्डधारक धारक द्वारा अपने डेबिट कार्ड पर भारत, नेपाल और भूतान के बाहर किया हुआ कोई लेन-देन।

झ) मर्चंट आस्थापना (एमई) का अर्थ होगा किसीभी स्वरुप की वाणिज्यिक स्थापना, जहां भी स्थापित है, जो उनके साथ लेन-देन के लिए कार्ड को स्वीकार करती है।

ञ) मर्चट का अर्थ होगा कोई व्यक्ति मर्चट स्थापना का स्वामी है या प्रबंध करता है या परिचालन करता है

ट) निजी पहचान संख्या (पिन) बैंक द्वारा कार्ड धारक को दी गई चार अंको की वह गोपनीय संख्या होगी, जो कार्ड जारी करते समय दी जाएगी या बाद मे उसके द्वारा समय-समय पर चयनित की जाएगी, जो लेन-देन के समय एटीएम या पीओएस टर्मिनल पर ग्राहक की पहचान के लिए उपयोग मे लायी जाएगी।

ठ) पीओएस टर्मिनल का अर्थ होगा सदस्य स्थापना मे पॉइंट ऑफ सेल इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल, चाहे भारत या बाहर हो जो कार्ड लेन-देन प्रक्रिया के लिए सक्षम हो और जिसमे अन्य के साथ-साथ कार्ड धारक खरीद करने के लिए बैंक के पास रखे गये अपने खाते से अपनी निधि प्राप्त करने के लिए उपयोग कर सकता है।

ड) प्रमुख खाते का अर्थ होगा कार्ड परिचालनों के उद्देश्य से कार्ड के आवेदन के लिए खातोंके विवरण मे दिया गया प्रथम खाता

ढ) साझा नेटवर्क का अर्थ होगा वीजा/मास्टर/रूपे कार्ड नेटवर्क या बैंक के किसी भी नाम के निजी नेटवर्क।

ण) लेन-देन का अर्थ होगा कार्ड धारक द्वारा अपने कार्ड के उपयोग द्वारा बैंक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से खाते पर कुछ कार्रवाई करने के लिए दिया गया कोई अनुदेश।

त) वीजा विनियमन का अर्थ होगा वीजा द्वारा अपने प्रतिनिधि/सदस्य बैंकोको जारी विनियमन मास्टर कार्ड विनियमन का अर्थ होगा मास्टर कार्ड द्वारा अपने प्रतिनिधि / सदस्य बैंकोको जारी कीया गया कोई विनियमन। रूपे विनियमन का अर्थ होगा, रुपे द्वारा अपने प्रतिनिधी/सदस्य बैंको को जारी विनियमन।

2. पात्रता:

बचत खाता चेक बुक सुविधा सहित / चालू खाते व्यक्तिगत क्षमता मे कार्ड जारी करने हेतु पात्र है।

संयुक्त खाते के मामले मे, केवल वे ही खाते जो एकल रुप से परिचालन किए जाने हेतु अनुमत है, कार्ड जारी करने के लिए पात्र रहेंगे संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा परिचालित खाता या अवयस्क का खाता या खाता जिसमें अवयस्क संयुक्त खाताधारक है, पात्र नहीं है।

3 वैधता :

बैंक को एटीएम, वीजा / मास्टरकार्ड / रूपे के अनुमोदित एटीएम अन्य बैंकोको एटीएम और भारत मे तथा विदेशो मे वीजा / मास्टर कार्ड / रूपे कार्ड अन्य बैंको के लोगो का प्रदर्शन करनेवाले पॉइंट ऑफ सेल युक्त (एमई) सदस्य स्थापना मे कार्ड उपयोग के वैध है।

4. निजी पहचान संख्या पीआईएन

कार्डधारक द्वारा कार्ड का उपयोग करने हेतु बैंक उसे आरंभ मे एक निजी पहचान संख्या (पिन) प्रदान की जाएगी. कार्डधारक सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा सीलबंद मेलर के माध्यम से पिन प्राप्त हुई है. कार्डधारक पिन की प्राप्ती के उपरांत तुरंत बैंक के एटीएम मे अपने कार्ड का उपयोग कर अपने पसंद की पिन संख्या के द्वारा इसे बदल सकते है. कार्डधारक द्वारा अपने सभी भविष्य के लेन-देनो के लिए परिवर्तित पिन का उपयोग करना होगा. किसी भी परिस्थिती मे कार्डधारक ने अपना पिन जब तक वह पुन: पिन का परिवर्तन नहीं करता, संयुक्त खाताधारक और बैंक के साथ किसीको भी बताना नही चाहिए. अपनी पिन संख्या का प्रकटन करने के फलस्वरुप कार्ड के किसी अप्राधिकृत उपयोग सहित किसी परीणामो की जिम्मेदारी केवल कार्डधारक की होगी. कार्ड और पिन के माध्यम से दिये गये कोई अनुदेश, चाहे संयोजन या स्वतंत्र रुप मे हो, यह माना जाएगा कि कार्डधारक द्वारा दिए गये अनुदेश है और बैंक यह मानने के लिए हकदार रहेगा कि वे अनुदेश कार्डधारक द्वारा दिए गए है।

5 कार्ड पर लेन-देन

क) कार्डधारक घोषित करता है कि उसको जारी किया गया कार्ड यदि विदेशों मे उपयोग मे लाया जाता है तो उसका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी और संशोधित संबधित विनिमय नियंत्रण विनियमनों के अनुरुप ही रहेगा. अत: विनिमय नियंत्रण विनियमनों का कार्ड धारको द्वारा अनुपालन न करने की स्थिति मे कार्ड धारक विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, १९९९ या ऐसे अन्य समवर्ती विधि के अंतर्गत कार्रवाई के लिए पात्र रहेगा. कार्ड धारक को बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा कार्ड का उपयोग करने के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा।

ख) यदि कार्ड निरस्त किया जाता है, चाहे वह विनिमय नियंत्रण विनियमनों के अनुपालन न करने के कारण या अन्यथा हो, बैंक कार्ड के, चाहे भारत में या विदेश मे हो, किसी उपयोग के प्रयास हेतु जिम्मेदार नही होगा. ऐसे उपयोग का परिणाम यह होगा कि कार्ड का भुगतान नही किया जाएगा तथा संबंधित मर्चट ऐसे कार्ड को प्रस्तुति करने के उपरांत उसे अपने पास रखने के लिए हकदार होगा।

ग) कार्डधारकों द्वारा विदेश जाते समय योग्य निजी खर्चोके लिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित विदेशी विनिमय पात्रताओं के भीतर कार्ड का उपयोग किया जा सकता हैं, बशर्ते की विदेश मे प्रवास के दौरान आहरित कुल विनिमय पात्रता से अधिक नही होना चाहीये विदेशोंमे खरीदी गई और भारत मे लायी गई वस्तुओंकी आयात पैकेज नियमों / एग्जिम निति और प्रभावी किसी अन्य नियमों द्वारा अधिशासित रहेगी. विनिमय पात्रता का पता यात्रा के पूर्व बैंक को प्राधिकृत डोलर शाखाओंसे किया जाना चाहिये. कार्डधन प्रेषण करने के लिए प्रचलित विनियमोंके अंतर्गत विनिमय का जारी किया जाना अनुमत नही है।

6. कार्ड गुम होना या कार्ड की चोरी

क) यदि कार्ड गुम होता है या कार्ड की चोरी होती है तो कार्डधारक ने स्थानीय पुलिस मे शिकायत दर्ज करनी चाहिए और इसकी प्रति बैंक को भेजनी चाहिए. जब तक कार्ड हॉट लिस्ट/ निरस्त नही होता कार्ड पर किए सभी प्रभारों के लिए कार्डधारक जिम्मेदार होगा. कार्डधारक कार्ड गुम होने की जानकारी बैंक की उसकी शाखा या नामित एजेंसी को टेलिफोन या फैक्स द्वारा लिखित निवेदन के माध्यम से दे सकता है. बैंक पर्याप्त सत्यापन के पश्चात कार्ड अस्थायी रुप से निलंबित रखेगा और बाद मे ऐसी जानकारी की प्राप्ती पर कार्य दिन पर कार्य के दौरान कार्ड हॉट लिस्ट/ निरस्त करेगा।

ख) यदि कार्डधारक का कार्ड विदेश मे खो जाता है तो वह या तो उक्त प्रक्रिया का अनुसरण कर सकता है या वीजा/मास्टर कार्ड ग्लोबल आपात्कालीन सहायता एजेंसी हेल्प लाईनों के माध्यम से खोने की जानकारी दे सकता है. यदि कार्डधारक ऐसे सेवाओंका उपयोग करना है तो ऐसी सेवाओंके उपयोग हेतु खर्च का वहन कार्डधारक करेगा।

ग) एक बार जब कार्ड गुम होने या चोरी हो जाने तथा पश्चात प्राप्त होने की जानकारी मिलती है तो तत्काल उसे दो भाग मे काटना चाहिए और बैंक को वापस लौटाना चाहिए. ऐसे कार्ड के दुरुपयोग से बचने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए।

घ) कार्ड के सुरक्षा के लिए कार्डधारक जिम्मेदार होगा. कार्ड को सुरक्षित रखने के लिए वह सभी उपाय करेगा. कार्डधारक को ही खोए या चुराए कार्ड पर किसी वित्तीय देयता को वहन करना पड़ेगा।

ङ) बशर्ते कि सभी संबंधो मे कार्ड धारक द्वारा सभी निबंधनो और शर्तो का अनुपालन के पश्चात ही बैंक के एकमेव विवेकाधिकार के अंतर्गत प्रतिस्थापित कार्ड जारी किया जाएगा।

7. कार्ड का अभ्यर्पण / प्रतिस्थापन

क) उपयोग करते समय या अन्यथा या खोने के समय यदि कार्ड टुटा /क्षतिग्रस्त हुआ तो बैंक उसे समय समय पर विनिहित लागत पर प्रतिस्थापना करेगा. तथापि प्रतिस्थापित कार्ड बैंक के विवेकाधिकार से (१) नये आवेदन और (२) खोए या अभ्यर्पित कार्ड यदि वह टुटा / क्षतिग्रस्त हुआ है, के मामले मे, जैसी भी स्थिति हो उचित क्षतिपुर्ति पत्र पर जारी किया जाएगा।

ख) कार्डधारक को जारी किया गया कार्ड बैंक की संपत्ति होगी और अनुरोध पूरी होने या कार्डधारक द्वारा कार्ड की आवश्यकता न होने की स्थिति में उसे बैंक को अभ्यर्पित किया जाएगा. कार्डधारक द्वारा सेवाओंकी आवश्यकता न रहने की स्थिति मे या किसी भी कारण से बैंक द्वारा सेवाएं वापस ले ली गई हो. कार्डधारक बैंक को कार्ड निरस्त करने के लिए लौटा देगा. बैंक अपने पूर्ण विवेकाधिकार से किसी खोए या चुराए कार्ड के लिए नए पिन के साथ प्रतिस्थापित कार्ड या विद्यमान कार्ड पर नया पिन जारी कर सकता है, या नवी कृत कार्ड नए या उसी पिन पर उसी निबंधनो और शर्तो पर जिसे बैंक योग्य समझे जारी कर सकता है।

ग) उपर्युक्त प्रावधानो के अध्यधीन कार्ड के अयोग्य / अप्राधिकृत/ गलत उपयोग या डुप्लिकेट कार्ड के जरिए और या पिन के जरिये किसी अन्य पक्षको कार्ड मिलने या किसी अन्य पक्ष की जानकारी मे पिन आने से कार्ड के उपयोग के लिए कार्ड धारक बैंक को जिम्मेदार नही ठहराएगा।

8) कार्ड के अभ्यर्पण हेतु कार्डधारक के अधीकार

क) कार्डधारक बैंक को लिखित रुप मे सुचना देकर और कार्ड को दो टुकडे कर बैंक को लौटाकर यह सुविधा समाप्त कर सकता है. कार्ड धारक कार्ड को सभी प्रभारो के लिए उत्तरदायी रहेगा. बैंक किसी भी समय किसी भी प्रकार का कारण देकर या न देते हुउ भी कार्ड निरस्त कर यह सुविधा समाप्त कर सकता है।

ख) यदि खाताधारक प्रमुख खाता बंद करना चाहता है या अन्यथा कार्ड सुविधा बंद करना चाहता है वह बैंक को सूचना देगा जो दो कार्य दिन की सुचना से कम ना हो और कार्ड जारी कर्ता शाखा मे बैंक को कार्ड का तात्काल अभ्यर्पण करेगा और इसकी वैध रसीद प्राप्त करेगा।

9 नवीकरण अस्वीकार करने /कार्ड समाप्त करने हेतु बैंक के अधिकार

निर्धारित प्रभारो के भुगतान के पश्चात बैंक अपने पूर्ण विवेकाधिकार पर कार्ड का नवीकरण करेगा. बैंक किसी कार्डधारक को कार्ड जारी करने/नवीकरण करने से इन्कार कर सकता है, या कोई और या इसमे दी गई किसी सेवाओं को वापस ले सकता है, बैंक निम्नलिखित किसी भी प्रसंग होने के उपरांत कार्ड सुविधा तत्काल प्रभाव से समाप्त करेगा।

क) इसमे निर्धारित किये गये निबंधन और शर्तो या बैंक के पास कार्डधारक के खाते को लागु निबंधन और शर्तो का भी पालन या अनुसरण करने में असफल होना।

ख) बैंक के साथ किसी करार या प्रतिबद्धता (आकस्मिक या अन्यथा) के अंतर्गत व्यक्तिक्रम के प्रसंग मे।

ग) यदि कार्डधारक पर किसी शोधन अक्षमता, दिवालिया कार्यवाही या इसी स्वरुप की कार्यवाही होती है।

घ) कार्डधारक की मृत्यु होने पर;

च) कार्डधारक के मुर्खतापूर्ण व्यवहार/ पागलपन/अस्वस्थ दिमाग के संबंध मे रिपोर्ट प्राप्त होने पर;

छ) यदि बैंक को आभास होता है कि इस सुविधा का दुरुपयोग किया जा रहा है/ इसका उचित ढंग से उपयोग नही किया गया है;

ज) यदि नेटवर्क के किसी भी बैंक / शाखा से प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होती है।

बैंक द्वारा प्राथमिक खाते को निष्क्रय किए जाने की स्थिती मे यह सुविधा को समाप्त के बावजूद पहले संसाधित किए गए किंतु सेवा समाप्त के उपरांत कार्डधारक को शाखा को सुचित किए गए प्रचालन कार्डधारक के खाते के माध्यम से संसाधित किए जाएंगे।

10 उपयोग की शर्ते

क) यह कार्ड हस्तातरणीय नहीं है और केवल कार्डधारक द्वारा इसका उपयोग किया जाएगा।

ख) कार्डधारक सदैव यह सुनिश्चित करेगा कि कार्ड हमेशा सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है तथा किसी भी परिस्थिती मे इस कार्ड का उपयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नही किया जाता है। बैंक से कार्ड प्राप्त होने के तुरंत बाद कार्डधारक कार्ड के पीछे दिए गए हस्ताक्षर पॅनल मे हस्ताक्षर करेगा।

ग) यह कार्ड बैंक की सम्पत्ति है तथा बैंक द्वारा मांग किए जाने पर अथवा कार्डधारक को इस सेवा का लाभ न लेने की इच्छा होने पर उसे यह कार्ड बैंक के किसी प्राधिकृत व्यक्ति को लौटा देना चाहिए। कार्ड सौपने से पहले कार्डधारक बैंक के प्राधिकृत व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित कर ले।

घ) कार्डधारक बैंक द्वारा प्रदान की गई सभी प्रकार की सुविधाओं तथा इससे संबंधित सभी प्रभारो के लिए जिम्मेदार होगा।

ङ) साझे नेटवर्क एटीएम पर उपलब्ध की गई सुविधाओं से बैंक के अपने नेटवर्क पर उपलब्ध की गई सुविधाओ मे भिन्नता हो सकती है। बैंक के पास कार्डधारक को कोई सूचना दिए बगैर संव्यवहार की प्रकृति मे परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।

11 बहुविध खाते/संयुक्त खाते

क) कार्डधारक सहमत होता है कि यदि उसके बैंक मे बहुविध खाते है तो बैंक यह निर्णय कर सकेगा कि उसके बैंक मे कितने खाते रखे जाये जिन पर यह सुविधा उपलब्ध की जाये।

ख) प्राथमिक खाते का अंतरण अथवा प्राथमिक खाते में परिचालनगत परिवर्तन की अनुमति तब तक नही दी जाएगी जब तक कि यह कार्ड वापस नही सौप दिया जाता तथा यदि कोई प्राप्य राशि है तो उसे अदा नहीं कर दिया जाता।

ग) कार्ड का उपयोग कर की गयी सभी प्रकार के सामानों को खरीदी अथवा सेवाओं नकद; फीस, प्रभार तथा कार्ड का उपयोग कर देय सभी भुगतानों के लिए बैंक कार्ड से लिंक खाते को नामे करेगा।

घ) कार्ड धारक कार्ड की वैधता अवधि के दौरान समय-समय पर लागू न्यूनतम जमा शेष बैंक के अपने प्राथमिक खाते मे बनाये रखेगा तथा यदि किसी भी समय यह जमा राशि कम होती है या ऊपर किये गये उल्लेख के अनुसार निर्धारित न्यूनतम सीमा से जमा राशि कम होती है तब बैंक अपने विवेक तथा समय-समय पर लागू बैंक के नियमों के अनुसार कार्ड धारक को बिना पूर्व सूचना दिए दंड या सेवा प्रभार लगा सकता है।

ङ) कार्ड धारक अथवा ऐसा कार्ड धारक जो एक संयुक्त खाताधारक है जिसे संयुक्त खाता एकल रुप से परिचालित करने की अनुमती दि गयी है बैंक को इस कार्ड का उपयोग करके, बैंक के रिकॉर्ड के अनुसार, आहरित की गयी राशि तथा/ अथवा अंतरण के लिए खाते को नामे (डेबिट) करने के लिए प्राधिकृत करता है. तथापि, बैंक के रिकॉर्ड के अनुसार, सभी खाताधारक एटीएम मशीन या पीओएस टर्मिनल द्वारा प्रोसेस किए गए संव्यवहार के लिए संयुक्त तथा पृथक रुप से बाध्यकार होंगे. बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित कार्ड से संबधित सभी तरह की फीस / प्रभार कार्ड धारको के किसी भी खाते को नामे करके वसूल की जायेगी. यदि संयुक्त खाताधारकों में से कोई एक कार्ड के संचालन के बारे मे भुगतान रोकने. संचालन संबधी निदेश देना चाहता है तो उसे बैंक को लिखित रुप मे ७ दिन पहले इस तरह का नोटीस भेजना होगा जिससे कि बैंक नेटवर्क से जुडे सभी बैंको / एटीएम केंद्रों को सूचित कर सके तथा अपने विवेकानुसार अनुदेशोंका पालन करने हेतु का कार्रवाई कर सके।

12 विवरण तथा रिकॉर्ड

क) कार्ड धारक बैंक के संव्यवहार के संबंधित रिकॉर्ड को सभी उद्देश्योंके लिए निर्णायक तथा बाध्यकारी के रुप मे स्वीकार करेगा. एटीएम कार्ड के उपयोग करने पर मशीन से मुद्रीत होकर निकलने वाली पर्ची एटीएम पर कार्ड धारक का रिकॉर्ड है तथा इसे इस उद्देश्य से बैंक के रिकॉर्ड रुप मे नही माना जाएगा. बैंक / शाखाओं के कारोबार समय के उपरात किए गए संव्यवहार को बैंक के बही खातों मे दुसरे कार्य दिवस मे दर्शाया जाएगा. प्रभार / ब्याज इत्यादी की उगाही के प्रयोजन से लेन-देन की वास्तविक तारीख से गणना की जाएगी।

ख) कार्ड धारक को लेन-देन की तारीख से १५ दिनोंके भीतर लेन-देन / खाते मे प्रविष्टीयों मे पाई गई किसी अनियमितता अथवा विसंगति की सूचना लिखित तौर पर बैंक को देनी चाहिए. यदि बैंक को १५ दिनो के भीतर इस संबंध मे कोई सुचना नही मिलती है तो बैंक यह मान लेगा की बही खाते मे दर्ज की गई प्रविष्टियाँ तथा लेन-देन सही है।

ग) कार्ड धारक का हित सुनिश्चित करने के लिए बैंक कार्ड सुविधाओंका उपयोग करते समय किसी व्यक्ति के प्रवेश तथा उपस्थिति के कैमरा अथवा विडोओ टेप मे अपने स्वयं के विवेक पर रिकॉर्ड कर सकता है, कार्ड धारक के अनुरोध पर इलेक्ट्रॉनिक या वृत्त चित्र के रुप मे बैंक द्वारा तैयार रिकॉर्ड तथा ऐसे अन्य विवरणोका रिकॉर्ड तथा उपर कार्ड धारक के बताए अनुसार कैमरा / विडीयो की सभी रिकॉर्डिंग को ग्राहक के अनुदेशों और ऐसी हिदायतों तथा अन्य विवरणों के लिए निर्णायक साक्ष समझा जाएगी.

13 एटीएम का उपयोग

क) कार्ड धारक निम्न स्थितियों मे कार्ड का उपयोग या उपयोग करने का प्रयास कभी भी नही करेगा, (१) आहरण अथवा अंतरण के लिए (निर्धारित सीमा के भीतर) जब तक की खाते मे पर्याप्त रकम (फंड) उपलब्ध नहीं है. (२) और / अथवा अन्य पक्षों को जारी किए गए अपने चेकोंका भुगतान न करने की मंशा से आहरण अथवा अंतरण के लिए. यदि खाते मे एक साथ एटीएम / पीओएस टर्मिनल से किए गए डेबिट को प्राथमिकता दी जाएगी तथा एटीएम / पओएस टर्मिनल का उपयोग को डेबिट करने के उपरांत अपर्याप्त शेष होने पर बैंक संबंधित चेकों को वापस लौटा देगा. यह कार्ड धारक को जिम्मेदारी होगी की वह चेक तथा अन्य लेन-देन के लिए खाते मे पर्याप्त जमा शेष(फंड) बनाए रखे.

ख) कार्ड को एटीएम लोकेशन मे गोपनीय पिन के माध्यम से कार्यशील किया जा सकता है, पिन के उपयोग से किये सभी लेन-देन के ऊपरांत रिकॉर्ड को स्विकार करेगा। कार्ड धारक के एटीएम के माध्यम से लेन-देन पूरा करने पर वह मुद्रीत लेन-देन रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए अनुरोध दर्ज करा सकता है। जब कार्डधारक कार्ड का उपयोग करता है तब एटीएम पावती पर उपलब्ध धन राशि मुद्रित हो जाती है।

ग) जमाराशियों (डिपॉजिटस) के लिए कोई हस्ताक्षरीत पावती नही होगी । जमा के लेन-देन का सत्यापन बैंक के पदाधिकारियों या उनके पदनामित व्यक्तियों द्वारा नकद/चेकों के जमा किए गए कटे-फटे या गंदे नोटों को भारतीय रिजर्व बैंक के नोट रिफंड नियमों के अध्यधीन अनंतिम रुप से स्वीकार किए जाएंगे तथा कार्ड धारक को संबंधित आगम तब तक उपलब्ध नही होगा जब तक की इन्हे समाशोधित नही कर दिया जाता। विदेशी मुद्रा के रुप मे स्विकार जमाराशिया अथवा किन्ही कारणोंसे स्विकार नही की गयी जमाराशियां कार्ड धारक के खर्च , जोखिम तथा जिम्मेदारी पर वापस लौटा दी जायेंगी । चेकोकी उगाही और आगम परकाम्य लिखित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्विकार किया जाएगा।

घ) सभी लेन-देन, विशेष रुप से नकद तथा चेक, संव्यवहारों को परिवहन अवधि के कारण जमा देने में विलंब हो सकता है। कार्ड धारको को ऐसे विलंबो के कारण होने वाली हानी अथवा क्षति अथवा असुविधा के लिए बैंक जिम्मेदार नही होगा।

ङ) कार्ड धारक को एटीएम द्वारा उत्पन्न लेन-देन के रिकॉर्ड को अपने पास रखना चाहिये।

च) कार्ड धारक सहमत है की उसे अधिकतम निर्धारीत आहरण सिमा तक नगद आहरण करने और अधिकतम निर्धारित व्यय सीमा तक व्यय / एमई (व्यापारी/मर्चट आस्थापना) पर खरीदारी करने की अनुमति होगी बशर्ते उनके खाते (तों) मे स्पष्ट शेष राशि उपलब्ध हो या बैंक द्वारा समय समय पर निर्धारित आहरण/खरीद सीमा के अंतर्गत हो, इन सीमायों का किसी प्रकार से उलंघन होने पर उसे प्रदत्त कार्ड सुविधा हटा दी जाएगी। कार्डधारक सहमत है की जब तक उसके खाते में पर्याप्त निधियाँ उपलब्ध न हों वह आहरण/खरीदी (एमई पर) नहीं करेगा। खाते मे पर्याप्त शेष उपलब्ध करने की पूरी जिम्मेदारी कार्ड धारक की होगी।

तय की गयी आहरण व एमई (मर्चट आस्थापना) पर व्यय की सीमा जानने के लिए बैंक की वेबसाईट देखे।

14 व्यापारिक प्रतिष्ठानो पर उपयोग

क) यह कार्ड भारत अथवा विदेश मे बैंक / वीसा / मास्टरकार्ड / रूपे का लोगो प्रदर्शित करने वाले तथा पीओएस टर्मिनल रखनेवाले सभी व्यापारीक प्रतिष्ठानो पर स्वीकार्य होगा। यह कार्ड केवल इलैक्ट्रानिक उपयोग के लिए है । जब कभी इस कार्ड का उपयोग व्यापारिक प्रतिष्ठान मे किया जाए कार्ड धारक बिक्री पर्ची पर हस्ताक्षर करें तथा इसकी प्रतिलिपी अपने पास रखे। लेन-देन की तारीख से १५ दिनों के भीतर कार्ड धारको के अनुरोध पर बैंक अतिरिक्त प्रभार लेकर वीसा / मास्टर / रूपे कार्ड के नियमों के अनुसार बिक्री पर्ची की प्रतिलिपीयाँ दे सकता है। कार्ड धारक द्वारा व्यक्तिगत रुप से हस्ताक्षर नही की गई बिक्री पर्ची किन्तु जिसे कार्ड धारक द्वारा प्राधिकृत किए जाने के सबुत के रुप मे पेश किया जा सकता है को साबित करने का उत्तरदायित्व कार्ड धारक पर होगा। लेन-देन की राशी कार्ड से संबधित प्राथमिक खाते से तत्काल नामे (डेबिट) कर ली जाएगी। व्यापारिक प्रतिष्ठानो पर लगाए गए पीओएस टर्मिनलों मे पीओएस टर्मिनलों की कार्यात्मकता के आधार पर, कार्ड धारको के हस्ताक्षर पिन की सहायता से यह कार्ड कार्यशील होता है।

ख) सामानो की आपुर्ती तथा सेवाओ को शामिल करते हूए बैंक कार्ड धारक के व्यापारी के साथ लेन-देन का कोई उत्तरदायित्व स्विकार नही करेगा। यदि किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान के खिलाफ कार्ड धारक की कोई शिकायत होती है तो कार्ड धारक व्यापारिक प्रतिष्ठान के खिलाफ मिलकर समस्या का समाधान स्वय करेगे और वह बैंक के प्रति अपने उत्तरदायित्वसे मुक्त नही होंगे। यद्यपी कार्ड धारक को इस शिकायत की सुचना तत्काल बैंक को देनी चाहीये ताकी बैंक वीसा / मास्टर / रूपे कार्ड नियमो के अनुसार कार्रवाई कर सके।

ग) बैंक किसी व्यापारीक प्रतिष्ठान द्वारा उगाही गई अधिभार राशी तथा कार्ड धारक के खाते से नामे की गई लेन-देन की राशी के लिए कोई भी जिम्मेदारी स्विकार नही करेगा।

घ) बैंक को व्यापारिक प्रतिष्ठान से कोई प्रभार या अन्य भुगतान मांग प्राप्त होने पर वह इस बात का प्रामाणिक सबूत होगा की ऐसे मांग मे दर्शाया गया प्रभार ऐसे प्रभार अथवा अन्य तरह से कार्ड का प्रयोग करते हुए कार्ड धारक द्वारा व्यापारीक प्रतिष्ठान में संदर्भित राशी का उपयुक्त व्यय कीया गया है ऐसी परिस्थिती को छोडकर जहाँ कार्ड खो गया है या चुरा लिया गया है और जिसकी रिपोर्ट पुलिस मे दर्ज करवाई गई है तथा उपरोक्त नियम खंड ६ (क) के अधिन बैंक को इसकी सुचना दी गई है।

ङ) यादि कोई कार्ड धारक यह दावा करता है की उसके कार्ड का प्रयोग धोखेबाजी पूर्ण रुप से किया गया है तो इस धोखेबाजी का सबुत प्रस्तुत करने का दायित्व कार्ड धारक के उपर होगा। यदि इस तरह के धूर्तता पुर्ण प्रयोग के कारण कार्ड धारक को कोई हानि होती है तो बैंक उसकी जिम्मेदारी नही लेगा।

च) यदि कार्ड धारक किसी गलती अथवा व्यापारिक कारणों से वापसी के कारण किसी पूर्व संव्यवहार को रद्द करना चाहता है तो उस स्थिति में मर्चेंट ने पूर्ववर्ती बिक्री रसीदों को निरस्त करना चाहीए और मर्चेट द्वारा निरस्त सव्यवहारों की रसीद की पावती कार्ड धारक को अपने पास रखनी चाहीए। ऐसे लेन-देन की उलट प्रविष्टी /नामे हावसे (गैनुअली)किया जाना होगा। कार्ड धारक के लिए यह आवश्यक है कि वह उलट प्रविष्टी को प्रभावी करने हेतु संव्यवहारों को निरस्त करने के लिए बिक्री रसीदें प्रस्तुत करें।

छ) कार्ड का उपयोग डाक आदेश/ फोन आदेश/ इन्टरनेट द्वारा खरीदि के लिए नही किया जाना चाहीए ऐसे किसी उपयोग को गैर प्राधिकृत माना जाएगा तथा ऐसे लेन-देन के लिए कार्ड धारक एक मात्र जिम्मेदार होगा।

15 अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन

क) कॅलेंडर वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा आहरण के लिए कार्डधारक अपने पासपोर्ट को विदेशी मुद्रा विनिमय के प्राधिकृत डोलर द्वारा पृष्ठांकित करवाएगा और वर्ष की समाप्त के पूर्व उसके सत्यापन के लिए बैंक के पास प्रस्तुत करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा विनिमय नियंत्रण विनियमन (एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन्स) के गैर अनुपालन अथवा विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन नियम १९९९ के दिसी प्रावधान अथवा अन्य तद्सदृश्य प्रावधानों के गैर अनुपालन के कारण उत्पन्न सभी परिस्थितियो और किसी भी नुकसान के लिए बैंक को हानि रहित रखने और क्षतिपूर्ति के लिए कार्डधारक सहमत है।

ख) विदेशी मुद्रा मे किए गए लेन-देन का निपटान वीसा/मास्टर/रूपे कार्ड तंत्र के अनुसार प्रभावी किया जाएगा।

ग) कार्ड के निरस्त होने के मामले मे, चाहे वह एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन के गैर अनुपालन के कारण अथवा अन्य कारण से है, चाहे भारत मे अथवा विदेश मे कार्ड के उपयोग का कोई प्रयास किया गया है, बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। कार्ड जारी करना और उसका उपयोग समय-समय पर लागु भारतिय रिजर्व बैंक के विनियमनो की शर्तों पर होगा । कार्डधारक इस बात से भी सहमत होगा कि विदेशी मुद्रा आहरण कि अनुमती केवल तभी होगी जब उस समय खाते में जिसके सामने कार्ड जारी किया गया है उसके बराबर पर्याप्त भारतीय रुपया जमा शेष होगा और अपर्याप्त जमा शेष के मामले मे आहरण को नकार दिया जाएगा।

घ) कार्डधारक द्वारा भारतिय रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा विनिमय नियंत्रण विनियमन , विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन नियम १९९९ और या किसी अन्य नियम और प्राधिकारी के गैर अनुपालन के कारण किसी अथवा सभी उत्पन्न परिणामों के लिए कार्डधारक बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा और बैंक की हानि को भरपाई करेगा

ङ) कार्डधारक सहमत है की विदेशी मुद्रा के आहरण के प्रत्येक लेन-देन के लिए बैंक द्वारा तय सेवा प्रभारलगेगा और ऐसे सेवा प्रभारों के लिए कार्डधारक का खाता लेन-देन के समय अथवा बाद मे नामे किया जायेगा। सेवा प्रभार में परिवर्तन बिना सूचना दिए ही होगा।

च) सभी विदेशी मुद्रा लेन-देन के लिए प्रयुक्त विनिमय दर का निर्णय बैंक द्वारा लिया जायेगा और कार्डधारक पर बंधनकारी होगा।

छ) कार्ड द्वारा किए गये सभी लेन-देन चाहे वह बैंक के एटीएम से या अन्य बैंक के एटीएम से या पीओएस टर्मिनल से किए गए है उन्हे कार्डधारक द्वारा स्वय और/या उसकी जानकारी / प्राधिकार से स्पष्ट या उपलक्षित रुप से किसी दावे या विपरित परिस्थिति के बावजूद भी कार्डधारक द्वारा किया गया प्राधिकृत लेन-देन माना जाएगा। कार्ड के प्रयोग से प्रसस्कृत सभी लेन-देन के लिए सभी परिस्थितियों मे कार्डधारक अपना सपूर्ण दायित्व स्वीकार करेगा। प्रमुख खातों के मामलों मे जो अनिवासी सामान्य / विदेशी खाते हैं कार्डधारक का एक मात्र दायित्व होगा कि खाते के परिचालन के संबंध मे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित किए गए नियमों / मानददो का पालन करें।

16. वैश्विक कार्डधारक सहायक सेवाएं (वीसा / मास्टर कार्ड वैश्विक आपात सहायता हेल्पलाईने)

बहुभाषिक वीसा / मास्टर कार्ड / रूपे कार्ड आपात सहायता सेवा योजनाएं विश्वव्यापी आपात प्रासंगिक सहायता वीसा / मास्टर कार्ड / रूपे कार्डधारकों को प्रस्तुत करती है । इसमे व्यापक स्तर पर विधि, चिकित्सा और अन्य सेवाएं सम्मिलित है। इन सुविधाओ के अंतर्गत आनेवाली सेवाएं अन्य पक्ष के सेवाप्रदान कर्ताओं द्वारा दी जाती है और उनका भुगतान वीसा / मास्टर / रूपे कार्ड अंतर्राष्ट्रीय द्वारा किया जाता है। यह सहायता सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर उपलब्ध कराई जाती है जो कि समय की समस्या, दूरी अथवा अवस्थान (लोकेशन) के कारण उपलब्ध नहीं हो सकती है। चुंकि वीसा / मास्टर कार्ड / रूपे कार्ड अंतर्राष्ट्रीय के कर्मचारी नहीं है। ऐसी सेवाओं की व्यवस्था अथवा उपयोग के लिए बैंक किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है।

17 दायित्व से अलग होना

क) बैंक द्वारा कार्ड धारक को उपलब्ध कराई गई सुविधा के फल स्वरुप कार्ड धारक एतद्वारा बैंक को सभी कार्रवाईयो, दावो, मांगो, कार्यवाहीया, नुकसान, हानियो, व्यक्तिगत पुछताछ खर्चो, प्रभारों और व्ययोंको जिसे बैंक ने उपगत, निर्वाह, वहन किया है या उसके कारण ऐसी स्थिती ने जो प्रतिफल हुआ है या कार्ड धारक को उक्त सुविधा देने के कारण ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है या बैंक द्वारा सम्दावना मे किसी कार्य को करने या विलोपन से या कार्ड धारक के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष असावधानी , गलती अथवा कदाचार से कार्ड से संबंधित नियमोंके शर्तो और निबंधनो के उल्लंघन अथवा गैर अनुपालन या कार्ड धारक अथवा उसके कर्मचारी या ऐजेन्ट द्वारा खाते मे लेन-देन या धोखाधडी, बेईमानी के लिए कार्ड धारक, बैंक को क्षतिपूर्ति करने और क्षतिरहित रखने के लिए सहमत है।

ख) कार्ड धारक बैंक को किसी मशीन / मशिनी भूल होने / बंद हो जाने के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत है। कुरिअर द्वारा कार्ड/पिन के अन्यत्र दे देने या परिवहन मे हुई हानि के लिए भी कार्ड धारक बैंक को क्षतिपुर्ति करेगा।

ग) उपरोल्लिखित पर बिना पुर्वाग्रह के, कार्ड धारक को जिस भी प्रकार की हानी या क्षति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप मे निम्न प्रकार के है, तो उसके लिए बैंक का कोई भी दायित्व नहो होगा:

- एमई द्वारा आपुर्ति कीए गए माल की गुणवत्ता या सेवा मे त्रुटी रहने पर
- किसी व्यक्ति द्वारा कार्ड का समादरण या स्विकृत करने से नकार देने पर
- कम्प्युटर टर्मिनल, एटीएम या पीओएस टर्मिनल के गलती करने के कारण
- कार्ड धारक के अलावा किसी अन्य द्वारा लेन-देन निर्देश को प्रभावी करने पर
- बैंक परिसर मे बैंक के पदनामित कर्मचारीओ को छोडकर कोसी अन्य को कार्ड धारक द्वारा कार्ड को सौपने पर
- कार्ड पर छपी समाप्ति तिथि के पुर्व बैंक द्वारा कार्ड को प्रस्तुत और जमा करने की मांग करने के अधिकार का प्रयोग करने पर चाहे एसो माग और प्रस्तुत करने अथवा जमा करने के लिए बैंक द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा या कम्प्युटर टर्मिनल , एटीएम या पीओएस टर्मिनल द्वारा की गई है।
- किसी कार्ड को निरस्त करने के लिये बैंक द्वारा उसके अधिकारोंका प्रयोग करने पर
- कार्ड के पुनर्धारण के कारण कार्ड धारक को व उनके तथा कथित साख, चरित्र और प्रतिष्ठा को हुई हानि और / अथवा एम ई द्वारा कार्ड को वापस करने के अनुरोध को नकारने या स्विकार करने पर।
- बैंक द्वारा किसी गलत विवरण, गलत प्रस्तुति, किसी ब्योरे मे गलती या विलोपन का पता लगाए जाने पर

घ) ईन सबके अलावा अन्यथा विधी द्वारा अपेक्षति हो तो, यदि कोई प्रोसेस (कार्यवाही) सम्मन, आदेश, रोक, डिको निष्पादन, ग्रहणाधिकार जानकारी अथवा सुचना बैंक को प्राप्त होती है और सद्भावन से बैंक उसपर विश्वास करता है और कार्ड धारक की क्षमता पर प्रश्न करता है अथवा किसी अन्य को क्षमता पर जिसे कार्ड धारक द्वारा कार्ड के लिए प्राधिकृत माना गया है, प्रश्न करता है, बैंक अपने विकल्प (आपशन) से और कार्ड धारक या अन्य ऐसे व्यक्ति के प्रति बिना दाईत्व के उसकी निधीके किसी भाग को कार्ड धारक को देने से नकार कर सकता है और निधी को समुचित प्रधिकारी को भुगतान कर सकता है और कानुन द्वारा लागु अपेक्षति कोई अन्य कदम उठा सकता है।

ङ) बैंक कार्ड धारक के खाते से उचित सेवा प्रभार और उठाए गए व्यय जिसमे उचित विधि शुल्क सम्मिलित है परतु सिमित नही है, जो कि कार्ड धारक के कारण विधी कार्रवाई हुई है, वसुल करने का अधिकार सुरक्षित रखता है

18 सुविधाओका आहरण (समाप्ति)

बैंक अपने विवेकाधिकार से कार्ड धारक को कार्डो , एटीएम , पीओएस टर्मिनलों पर और भी अधिक सेवाएं प्रदान कर सकता है और / अथवा साझा नेटवर्क के माध्यम से कार्ड धारक को सुविधा और उपयोग के लिए अन्य साधन (युक्ति) कर सकता है। इन साधनो पर कीये गए लेन देन से संबंधित सभी शुल्क प्रभार जैसा की बैंक द्वारा समय समय पर निर्धारित कीया जाएगा एसके खाते को नामे करके वसुल किया जाएगा। कार्ड धारक यह समझता है और सहमत है की साझा नेटवर्क विभिन्न प्रकार के कार्य और सेवाए उपलब्ध कराएगा और भिन्न भिन्न सेवाओ के लिए अलग अलग प्रभार होंगे। बैंक अपने एक मात्र विवेक से किसी भी समय , इ को बिना सुचना दिए भारत या भारत से बाहर एटीएम , पीओएस टर्मिनलो और अन्य साधनो पर सुविधा वापस लेने, विच्छेद, निरस्त , निलंबित / या समाप्त करने के लिए बैंक को हक होगा और ऐसे निलंबन या समापन के फलस्वरुप हुए किसी हानि या नुकसान के लिए कार्ड धारक के प्रति बैंक जवाबदार नहीं होगा।

19. प्रकटन

क) कार्ड धारक एत द्वारा बैंक को प्राधिकृत करता है कि वह किसी भी समय और किसीभी उद्देश के लिए कोईभी सुचना जो कार्ड धारक के व्यक्तिगत विवरण, खाते, लेन-देन या बैंक के साथ सव्यवहार को किसी सक्षम क्षेत्राधिकार अदालत सहन्यायिक प्राधिकरण, विधि प्रवर्तन एजेन्सी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के संबंधित स्कंधोको भारतीय रिजर्व बैंक, आयकर प्राधिकारीयो, सांविधिक प्राधिकारीयो, वित्तिय संस्थानो, ऋण ब्यूरो/एजंसीयो या किसी भी कंपनी को जो बैंक से संबंध, सहयोगी या सहाय्यक है को प्रकट कर सकती है जो विधि द्वारा या अन्यथा अपेक्षित है और जिसको ऐसे प्रकटन के लिए बैंक उचित मानता है।

ख) कार्ड धारक बैंक को ऐसी सुचना देने के लिए सहमत है जो विधि अथवा विनियमन द्वारा अपेक्षित है अथवा अन्य सुचनाए जिसके लिए बैंक समय समय पर उचित रुप से अनुरोध करता है। बैंक किसी सक्षम क्षेत्राधिकार अदालत सहन्यायिक प्राधिकारीयो, विधि प्रवर्तन एजेन्सीयो और अन्य संबधित प्राधिकारीयों को या उसके कारोबार के संचालन मे किसी अन्य व्यक्ति को ग्राहक को सुचना देने के अधिकार को सुरक्षित रखता है।

20. शुल्क / प्रभार

क) बैंक सेवा प्रभार लगाने के अधिकार को सुरक्षित रखती है और जब उचित समझे उसे संशोधित करने का अधिकार भी सुरक्षित रखती है।

ख) कार्ड धारक को कार्ड जारी करने अथवा पुन: जारी करने पर प्रभार लागाने और/ या कार्ड धारक द्वारा कार्ड पर लेन-देन करने पर फिस/ प्रभार लगाने के लिए बैंक अपने अधीकार को सुरक्षित रखती है। ऐसे शुल्क और प्रभार / कार्ड धारक के खाते मे उस समय लागाए जाएंगे जब शुल्क और प्रभार उपगत होंगे। इसके अलावा साझा नेटवर्क का परिचालन उसके एटीएम, पीओस टर्मिनल अन्य साधनो के प्रत्येक उपयोग के लिए अतिरीक्त प्रभार लगाए जा सकते है और इस प्रकार का प्रभार अन्य लागु शुल्को/प्रभारो के साथ कार्ड धारक के खाते मे नामे किया जाएगा। ऐसी सुवोधाओंके लिए अलग से सेवाप्रभार लगाया जाएगा और उसकी घोषणा बैंक द्वारा समय समय पर की जाएगी और कार्ड धारक का खाता नामे किया जाएगा।

ग) खाते मे ऐसी फीस नामे करने के लिए पर्याप्त निधि न होने पर, बैंक आगे के लेन-देन को नकारने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक का निर्णय कार्ड धारक पर बंधनकारी होगा।

घ) कोई भी सरकारी प्रभार, ड्यूटी अथवा नामे (डेबिट) या भुगतान योग्य कर जो कार्ड के उपयोग के परिणाम स्वरुप है उसके भुगतान का दाईत्व कार्ड धारक का है और यदि इसे बैंक पर डाला गया (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप मे) तो बैंक बिना सुचना दिये ऐसे प्रभारों, ड्यूटी अथवा टैक्स।

ङ) कार्ड धारक बैंक को किसी भी खर्चे जिसमे विधिक खर्चे भी सम्मिलित परंतु सिमित नही हे, जो बैंक ने कार्ड धारक से राशि वसूल करने के लिए खर्च किया है, तथा जो कार्ड के लेन-देन से संबंधित है उसके लिए खातों मे कटौती करने के लिए प्राधिकृत करता है और क्षतिपूर्ति करता है।

च) यदि किसीभी कारण से खाता अति आहरीत होता है तो उसे जमा स्थिति मे लाने हेतु कार्ड धारक को पर्याप्त निधि उपलब्ध कराना होगा । जब भी खाता अति आहरित होगा प्रत्येक प्रसंगपर ब्याज के अतिरिक्त एक समान शुल्क प्रभारित किया जाएगा। एक समान शुल्क और ब्याज बैंक द्वारा समय समय पर निर्धारित दर से वसूल किया जाएगा।

छ) कार्ड लेन-देन के कारण यदि कोई खाता अति आहरित हो जाता है तो बैंक को यहअधिकार होगा की वह यह राशी कार्ड धारक के किसी भी अन्य खाते, चाहे वह एकल या संयुक्त हो, की जमा राशी के विरुद्ध बिना कोई नोटीस दिए जहा कही लागू हो समंजन करे।

ज) इन निबंधनो और शर्तो मे बैंक और कार्ड धारक के मध्य समय समय पर किए गए अन्य किसी भी करार के कारण बैंक के धन के समंजस, अंतरण और समायोजन के हक पर किसी प्रकार कोई प्रभाव नही होगा।

झ) कार्ड के जारी/नवीकरण/प्रयोग के लिए लागु शुल्क और प्रभार के लिए बैंक की वेबसाईट देखें।

www.bankofindia.co.in

21. विवाद

अ) किसी व्यापारी स्थापना द्वारा कार्ड के स्वीकार करने और / अथवा नकारने की बैंक पर कोई जिम्मेदारी नही होगी । व्यापारी स्थापना के साथ किसी लेन-देन से संबधित विवाद के मामले मे जिस बिक्री पर्ची पर कार्ड धारक के हस्ताक्षर है तथा कार्ड नंबर नोट किया गया है वह बैंक और कार्ड धारक के मध्य से कार्ड धारक द्वारा - देयता का प्रमाण रुप मे अंतिम सबूत माना जाएगा / और बैंक को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता नही है कि कार्ड धारक ने खरीदा हुआ / खरीदा जानेवाला माल विधिवत रुप से प्राप्त किया है अथवा उपलब्ध की गयी / जाने वाली सेवा कार्ड धारक को संतोषजनक रुप से मिली है।

आ) एक बिक्री पर्ची जिसपर कार्ड धारक के हस्ताक्षर तथा कार्ड नंबर नोट किया गया है वह बैंक और कार्ड धारक के मध्य कार्ड धारक द्वारा देयता प्रमाण के रुप मे अंतिम सबूत माना जाएगा। बैंक विवरण मे सुचित किए गए प्रभारों के प्रति दुखी कार्ड धारक की असहमति की सुचना प्राप्त होने से दो महीनो के भीतर निराकारण करने का वास्तविक और पर्याप्त प्रयास के पश्चात यदि बैंक निर्धारित करता है की सूचित किए गए प्रभार सही है तब बिक्री पर्ची तथा भुगतान अनुरोध की प्रतिलिपी के साथ ब्योरे उस कार्ड धारक को सम्प्रेषित किए जाएंगे।

इ) साझेदारी नेटवर्क एटीएम लेनदेन संबंधित किसी विवाद के मामले को संबंधित नेटवर्क के विनियमनों के अनुसार हल किया जाएगा । कार्डधारक द्वारा साझेदारी नेटवर्क एटीएम पर किए गए किसी लेनदेन कि जिम्मेदारी बैंक नही लेगा। यदि कार्डधारक को किसी साझेदारी नेटवर्क एटीएम से संबंधित कोई शिकायत होगी तो कार्डधारक यह मामाल साझेदारी नेटवर्क के साथ हल कर और ऐसा न करने पर उसे बैंक के प्रति किसी बाध्यता से मुक्ति नही मिलेगी । फिर भी कार्डधारक को तत्काल बैंक को शिकायत की सूचना देनी होगी।

22. बीमा लाभ:

बैंक द्वारा कार्डधारक को कार्ड के अंतर्गत बीमा कंपनी के साथ ताल-मेल के माध्यम से समय समय पर विविध बीमा लाभ दिए जाते है । कार्डधारक विशेष रुप से स्विकार करता है की वह ऐसे बीमा संरक्षण से उद्भुत अथवा संयोजन से किसी भी मामले मे, चाहे वह ऐसे बीमा संरक्षण मे किसी कमी अथवा खराबी से संबंधित हो, वसूली अथवा क्षतिपूर्ति का भुगतान हो,दावों की प्रक्रिया अथवा समझोता हो । अन्यथा किसी भी तरह से हो बैंक को उत्तरदायी नही ठहराएगा और ऐसे सभी मामाले सीधे बीमा कंपनी को संबोधित किए जाएंगे तथा एउनके द्वारा निपटाए जाएंगे । बीमा कंपनी दावे के (समझोते) निपटान के लिए अकेली उत्तरदायी होगी । इसके अतिरिक्त कार्डधारक इससे भी सहमत है की बैंसक किसी भी समय (अपने स्वयं विवेक पर और कार्डधारक को इसकी बिना कोई सूचना दिए अथवा उसक कोई कारण दिए) ऐसे बीमा सरक्षण को बद कर सकता है, निकाल सकता है अथवा रद्द कर सकता है और बैंक पर यह सुविधा जारी रखने की बाध्यता नही है।

23 विविध

अ) कार्ड के प्रयोग हेतु निबंधन व शर्ते इस दस्तावेज मे विनिदिष्ट तथा समय-समय पर बैंक द्वारा इसमे किए गए संशोधनो के अनुसार होगी। कार्ड अवेदन फॉर्म पर हस्ताक्षर करने अथवा लिखित रुप से कार्ड की प्राप्ति कि अभिस्विकृति देने अथवा कार्ड के पीछे हस्ताक्षर करने से कार्ड की सहायता से कोई लेन-देन करने से अथवा बैंक को कार्ड के सक्रियण के लिए अनुरोध करने से अथवा रिकार्ड के अनुसार कार्डधारक के पते पर कार्ड प्रेषित कराने के पश्चात १० दिन बीत जाने से यह माना जाएगा कि कार्डधारक इन निबंधनो व शर्तो से बिनाशर्त सहमत है और उन्हे वह स्वीकार करता है।

आ) यह निबंधन व शर्ते कार्डधारक के किसी खाते से संबंधित निबंधनो व शर्तो से अतिरिक्त है। इलेक्ट्रानिक प्रणाली अथवा कार्ड लेन-देन के लिए प्रयोग मे अनेवाले उपस्करों की सुरक्षा जारी रखने अथवा पुन: स्थापित करने के लिए और अथवा किसी भी तरह के अन्य कारणों के लिए निबंधनों व शर्तो मे संशोधन करने की आवश्यकता महसूस होती है तो बैंक बिना सूचना के इनमे परिवर्तन भी कर सकता है और कार्डधारक पर यह बंधनकारी होगा।

इ) बिजली कि खराबी, संचार व्यवस्था लाईन, मशिनि खराबी अथवा नियंत्रण के बाहर किसी भी कारण से एटीएम कार्य करने की स्थिति मे नही है तो बैंक का कोई उत्तरदायित्व नही होगा।

24 परिवर्तन की अधिसूचना :

अ) बैंक को कार्ड और अथवा / उसके द्वारा प्रदान की जानेवाली सेवाओंको हटा देने का अथवा किसी भी समय कार्डधारक को पूर्व सूचना दिए बिना उपर्युक्त निबंधनो व शर्तो मे संशोधन अथवा उन्हे अनुपुरक करने का पूर्ण अधिकार होगा.

आ) बैंक को प्रदान सभी प्राधिकरण और अधिकार अपरिवर्तनीय होंगे।

25. नियंत्रण विधि:

अ) कार्ड का प्रयोग तथा निबंधन व शर्ते भारत के विधि के अनुसार नियंत्रित गोंगे।

आ) कार्डधारक वचन देता है कि वह कार्ड का लाभ और उपयोग करते समय लागु विविध क्रियाविधि का अनुपालन करेगा।

इ) सभी विवाद मुम्बई के सक्षम न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अध्यधीन है।

26 अपरिहार्य घटना:

बैंक के नियंत्रण के बाहर किसी मामले अथवा कारण से कार्डधारक को हुई हानि अथवा क्षति की क्षतिपूर्ति कार्डधारक को करने के लिए बैंक उत्तरदायी नही होगा।

27. असफल/विफल लेनदेन:

विफल डेबिट कार्ड लेनदेन को 5 दिनों के भीतर उलट दिया जाएगा। प्रत्यावर्तन में 5 दिन से अधिक का विलंब होने पर प्रति दिन 100 रूपये के दर से मुआवजा मिलेगा।

BANK OF INDIA
DEBIT CARD
Most Important Terms and Conditions of Usage

1. DEFINITIONS

a. **Account/s** means Cardholder's savings and/or current/overdraft account designated by the Bank to be eligible accounts for operations through the use of the Card.

b. **Account Statement** means a statement of account or the passbook issued by the Bank to a Cardholder setting out the transactions carried out and balance in the Account as on a given date, and any other information the Bank may deem fit to include.

c. **ATM** means any Automated Teller Machine whether in India or overseas, whether of the Bank or of a specified Shared Network, at which, amongst others, the Cardholder can use his Card to access his funds in his Account held with the Bank.

d. **The 'Bank'** means Bank of India, a nationalized Bank having its Head Office at G Block, Plot No.C-5, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400051 and its branches in India & abroad.

e. **Card** means Bank of India Debit Card.

f. **Cardholder** means a customer of the Bank to whom a Card has been issued and who is authorised to hold the Card.

g. **Charge** means a charge incurred by the Cardholder for purchase of goods or services or the Card or any other charge as may be included by the Bank from time to time.

h. **International** Transaction means the transactions entered into by the Cardholder on his Debit Card outside of India, Nepal and Bhutan.

i. **Merchant Establishment (ME)** means commercial establishments of any nature, wherever located, which honour the Card for transactions with them.

j. **Merchant** means any person who owns or manages or operates a Merchant Establishment.

k. **Personal Identification Number (PIN)** is a four digit confidential number given to the Cardholder by the Bank, while issuing the card or later selected by him from time to time, which is used to identify the customer at an ATM or a POS terminal for putting through transactions.

l. **POS Terminal** means point of sale electronic terminal at ME whether in India or overseas, capable of processing Card Transactions and at which, amongst others, the Cardholder can use his card to access his funds in his Account held with the Bank to make purchases.

m. **Primary Account** means the first account in the Accounts Particulars in the application for a card for the purpose of card operations.

n. **Shared Network** means Visa MasterCard / RuPay networks, or any other tie up like BANCS.

o. **Transaction** means any instruction given by a cardholder by, using his card directly or indirectly, to the Bank to effect some action on the account.

p. **Visa / MasterCard / RuPay** regulations means regulations issued by Visa / MasterCard / RuPay to its franchisee / member banks.

2. ELIGIBILITY:

*Savings / Current accounts individual capacity are eligible for issue of Card. In case of joint accounts, only such accounts as are permitted to be operated upon singly shall be eligible for issuance of card. Accounts operated by joint signature or account of a minor or an account in which a minor is a joint account holder shall not be eligible.

3. VALIDITY

a. The Card is valid for use at ATMs of the Bank, approved ATMs of Visa/MasterCard, approved ATMs of other banks and MEs with POS terminals in India and abroad and displaying logos of Visa / MasterCard / RuPay.

b. The Card is valid upto the last working day of the month and the year indicated on the Card.

4. PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER (PIN)

a. To enable the Cardholder to use the Card, a Personal Identification Number (PIN) will initially be issued to him by the Bank. The Cardholder shall ensure that the PIN is received by him in a sealed mailer. The Cardholder should immediately upon receipt of the PIN, change the same to the PIN of his choice by using the card at an ATM of the Bank. The Cardholder is should be used by/the Cardholder for all his future transactions till he changes the PIN again. Under any circumstances the Cardholder should not disclose his PIN to anyone including a joint account holder and the Bank. The cardholder shall be solely responsible for the Consequences arising out of disclosure of his PIN, including any unauthorized use of the card. Any instructions given by means of the card and the PIN, whether in conjunction with other documents, shall be deemed to be instructions given by the Cardholder, and the Bank shall be entitled to assume that those instructions are given by the Cardholder.

5. TRANSACTIONS ON THE CARD.

a. The Cardholder declares that the Card issued to him, if used overseas, shall be utilised strictly in accordance with the relevant exchange control regulations as issued and amended by the Reserve Bank of India (RBI) from time to time. In the event of non - compliance by the Cardholder with the said Exchange Control Regulations, the cardholder shall be liable for action under the Foreign Exchange Management Act, 1999, or, such other corresponding enactment. The Cardholder may be debarred from using the Card, either at the instance of the Bank\ or the RBI.

b. In case the Card is cancelled whether on account of non-compliance with Exchange Control regulations or otherwise, the Bank will not be responsible for any attempted usage of the Card, whether in India or abroad. Such usage will result in the Card being dishonoured and the concerned Merchant would be entitled to 'pick up' such card on the premises.

c. The Card may be used, within the foreign exchange entitlements as stipulated by RBI from time to time, by the Cardholders going abroad for bonafide personal expenses, provided the total exchange drawn during the trip abroad does not exceed the entitlement. Imported goods, so purchased abroad and brought into India, would be governed by the baggage rules / EXIM policy or any other such rules in force. The entitlement of exchange should be ascertained prior to the trip from the authorised dealer branches of the Bank. The Card cannot be used for effecting remittances for which the release of exchange is not permissible under the extant regulations.

6. LOST OR STOLEN CARDS

a. If a Card is lost or stolen, the Cardholder must file a report with the local police and send a copy of the same to the Bank. The Cardholder will be liable for all charges incurred on the Card until the Card is hotlisted / cancelled. The Cardholder may report a Card loss over the telephone or by way of written communication by fax to his branch of the Bank or designated agency. The Bank upon adequate verification will temporarily suspend the Card, and thereafter permanently hot-list / cancel the card during working hours on a working day following the receipt of such intimation.

b. If the Cardholder loses his Card overseas, he may either follow the above procedure or may report the loss through the Visa/MasterCard Global Emergency Assistance help-lines. In case the Cardholder uses such services, then the charges for the usage of such services shall be borne by the Cardholder.

c. Once a Card is reported lost or stolen and is subsequently found, the same should be promptly cut in half and returned to the Bank. Adequate precautions be taken to prevent misuse of such a card.

d. The Cardholder is responsible for the security of the Card. He shall take all steps to keep the card safely. The Cardholder only has to suffer and bear the financial liability on the lost or stolen Card.

e. Provided that the Cardholder has complied with the terms and conditions in all respects, a replacement Card may be issued at the sole discretion of the Bank.

7. SURRENDER / REPLACEMENT OF CARD

a. Card broken/damaged while in use or otherwise or lost however, will be replaced at a cost decided by the Bank from time to time. A replacement Card may, however, be issued at the Bank's discretion against a fresh application and (ii) a suitable indemnity in case of a lost Card or surrender of the Card if it is broken/damaged till recovery of the Card. Issuance of a replacement Card shall not amount to fresh contract.

b. The Card issued to the Cardholder shall remain the property of the Bank and will be surrendered to the Bank, on request in the event the Bank is no longer authorised by the cardholder. The Cardholder shall return the Card to the Bank for cancellation upon the services are no longer required by the Cardholder or if the services are withdrawn by the Bank e. for any reason whatsoever. The Bank may, in its absolute discretion issue a replacement Card, with a new PIN for any lost or stolen Card or a new PIN on the existing Card, or issue a renewal Card with a new or the same PIN on the same terms and conditions as the then existing and conditions as the Bank may deem fit.

c. Subject to the foregoing provisions, the Cardholder will not be liable in case of improper / fraudulent / unauthorized / erroneous use of the Card or through a duplicate card and/or the PIN in the event of the Card falling in the hands of or through the PIN coming to the knowledge of any third party.

8. CARDHOLDER'S RIGHT TO SURRENDER CARD:

a. The Cardholder may discontinue this facility any time by a written notice to the Bank and returning the Card to the Bank cut into two pieces diagonally. The Cardholder shall be liable for all charges incurred on the card. The Bank shall be entitled to discontinue this facility at anytime by cancelling the Card with or without assigning any reason whatsoever.

b. If the Cardholder desires to close the Primary Account or even otherwise decides to terminate the use of the Card facility, he shall give the Bank not less than TWO working days' notice in writing and forthwith surrender the Card to the Bank at the Card-Issuing Branch and obtain a valid receipt thereof.

9. BANK'S RIGHT TO REFUSE RENEWAL / TERMINATE ACCOUNTS

a. The Bank may in its absolute discretion renew a card upon payment of prescribed charges. The Bank shall have the sole absolute discretion to refuse to issue / renew a Card to any Cardholder or withdraw the Card and/or services thereby provided at any time. The Bank shall terminate the Card facility with immediate effect upon the occurrence of any of the following events:

i. Failure to adhere to or comply with the terms and conditions hereto set forth and also the terms and conditions that are applicable to cardholder's accounts with the Bank;

ii. In the event of default under any agreement or commitment (contingent or otherwise) entered into with the Bank;

iii. The Cardholder becoming the subject of any bankruptcy, insolvency proceedings or proceedings of similar nature;

iv. Demise of the Cardholder;

v. Reported lunacy/insanity/unsound mind of the Cardholder;

vi. If the Bank deems that the facility is being misused/improperly used in any way;

VII. If any adverse report is received from any of the Banks/Branches in the networks: The Card shall be valid non operational in case of Primary account being made inoperative by the Bank. Notwithstanding suspension of the ATM Card facility, the transactions already processed but reported to the Cardholder's branch after the termination shall be put through the Cardholder's Account.

10. TERMS OF USAGE

a. The Card is not transferable and shall be used only by the Cardholder.

b. The Cardholder shall have the power to inform all Banks/ATM centers participating in his usage and take steps in its discretion to carry out the instructions.

12. STATEMENTS AND RECORDS

a. The Cardholder shall accept the Bank's record of the transactions as conclusive and binding for all purposes. The printed output that is produced at the time of the operation of the ATMs is the record of the Cardholder's instructions to the ATM and shall not be construed as the Bank's record for this purpose. Transactions conducted after the normal business hours, of the bank branches would be reflected in the Bank's books of accounts on the next business day. For the purpose of levy of charges/interest etc., the actual date of transactions will be reckoned.

b. The Cardholder should inform the Bank in writing within 15 days from the date of transaction if any irregularities or discrepancies exist in the Transactions / particulars of the Account. If the Bank does not receive any information to the contrary within 15 days, the Bank would assume that the Account Statement and the Transactions recorded therein are correct.

11. MULTIPLE ACCOUNTS / JOINT ACCOUNTS

a. The Cardholder agrees that in case he has multiple accounts with the Bank, the Bank shall have the right to decide the number of accounts, which will have the Card facility on them.

b. Transfer of primary account or any change in operational mode thereof will not be allowed unless the Card is surrendered and dues, if any, against it, are paid.

c. The Bank will debit the Accounts linked to the Card for the value of all purchases of goods or services, cash, fees, charges and payments payable by the use of the Card.

d. The Cardholder shall maintain, at all times, in his Primary Account at the Bank the minimum deposit amount as applicable from time to time during the validity period of the Card, and the Bank may, at its discretion levy such penal or service charges as per Bank's rules from time to time or withdraw the Card facility, if at any time, the amount of deposit falls b. or has fallen below the minimum amount of deposit as aforesaid, without giving any further notice to the Cardholder and/or without incurring any liability or responsibility whatsoever, by reason of such withdrawal.

e. The Cardholder or such card holder who is a Joint account holder permitted to operate upon the joint account singly authorises the Bank to debit the account/s with the amount withdrawn and/or transfers effected by the use of Card, as per Bank's records. The Bank's record for transactions processed by the ATM machine or POS terminal shall be binding on all the account holders jointly and each severally. All fees/charges related to the Card, as determined by the Bank, from time to time, will be debited to/collected by/ from the Cardholder's accounts. In case any of the joint account holders desires to close / suspend / transaction instructions, in respect of operations of the Card, at least seven days clear prior notice in writing will have to be given to the Bank, so as to enable the Bank to inform all Banks/ATM centers participating in his usage and take steps in its discretion to carry out the instructions.

In the event of the Card or the signature panel immediately upon receipt of the card from the Bank.

c. The Card is the property of the Bank and have to be returned by the Cardholder upon demand of the Bank on request or in the event of cardholder no longer requiring the services. The Cardholder must ensure that the identity of the authorized person of the Bank is established before handing over the Card.

d. The Cardholder will be responsible for all facilities granted by the Bank in respect of the Card and for all related charges.

e. The type of Transaction offered on Shared Network ATMs may differ from those offered on the Bank's own network. The Bank will only support cash withdrawal and balance enquiry transactions at the ATMs belonging to Shared Networks. The Bank reserves the right to change the types of Transactions supported without any notice to the Cardholder.

13 ATM USAGE

a. At no time shall the Cardholder use or attempt to use the Card, (a) for withdrawal or transfer (within permitted limit) unless there are sufficient funds in the Accounts and/or (b) for withdrawal or transfer with intention to default payment of his cheque's issued to other parties. In case an ATM/or POS terminal debits and returning cheque are presented simultaneously in an account, the ATM/or POS terminal debit would be accorded first priority over the cheque and in the event of insufficient funds after ATM/or POS terminal debit, the cheque would be returned by the Bank.

It will be the responsibility of the account holder to maintain sufficient funds for cheque and other transactions.

The Card is operable with the help of the confidential PIN at ATM locations. All Transactions conducted with use of the PIN will be the Cardholder's responsibility and he will be bound by the record of the transaction as generated. When the Cardholder completes a transaction through an ATM, he can expect to receive a printed transaction record. The amount of available funds is shown on this ATM receipt when he uses his card.

There shall not be any signed receipts for deposits. Transactions of deposits shall be subject to verification by the Bank's officials or its designated persons, when the deposit envelopes are opened and cash/cheque(s) is/are verified. In case of any discrepancy whatsoever, the Bank's decision shall be final and binding upon the Customer. Deposit involving mutilated or soiled notes will be subject to final acceptance/reimbursement by R.B.I. as per their Note Refund Rules. Cheques will be accepted for collection only and the proceeds will not be available until they are realized. Any deposits of foreign currency or otherwise considered unacceptable will be returned at the Cardholder's risk, and responsibility. Collection and credit of proceeds of cheques is subject to the relevant provisions of the Negotiable instruments Act.

d. All transactions, in particular deposit of cash and cheques, shall be subject to delay, due to transit period. The Bank shall not be responsible for any loss or damage or inconvenience caused to the Cardholder due to such delays.

e. The Cardholder should retain the record of Transactions generated by the ATM with him.

f. The cardholder agrees that he will be allowed to withdraw cash and make purchase upto a maximum card specified limit (Refer product Brochure for Daily Limit details), subject to availability of clear balance in the Account(s) or any such maximum withdrawal /purchase limits decided by the Bank from time to time. Any attempt to violate these limits would lead to withdrawing of his Card facility. The Cardholder agrees not to attempt to withdraw / purchase using the Card unless sufficient funds are available in the Account. The onus of ensuring adequate Account balance is entirely on the Cardholder.

14. MERCHANT LOCATION USAGE

a. The Card is acceptable at all MEs in India and abroad which display the logos of the Bank/Visa/MasterCard/RuPay and which have a POS terminal. The Card is for electronic use only. The Cardholder must b. sign a Sales Slip wherever the Card is used at a Merchant Establishment and should retain his copy. The Bank at an c. additional charge may provide copies of the Sales Slip as per Visa / MasterCard / RuPay rules upon card holders request within 15 days of transaction / usage. Any Sales Slip not personally signed by the Cardholder, but which can be proved or being authorised by the Cardholder, will be his liability. The amount of the transaction is debited from Cardholder's Account linked to the Card immediately. The Card is operable with the help of the Cardholder's signature or the PIN at POS terminals installed at Merchant locations depending on the functionality of the POS terminal.

b. The Bank will not accept responsibility d. for any dealings the Cardholder may have with the Merchant establishment. The Cardholder not complying with the Exchange Control Regulations of the RBI, Foreign Exchange Management Act, 1999 and/or any other Act or authority.

c. The Cardholder agrees to indemnify the Bank for any machine/mechanical error/failure. The Cardholder shall also indemnify the Bank fully against any loss on account of misplacement by the Cardholder of his card/PIN and/or f. Cardholder's failure to produce, for the foregoing, the Bank shall be under no liability whatsoever to the Cardholder. Any delay or loss of any damage arising directly or indirectly out of:

- Any defect in quality and/or g. quantity supplied by MEs.
- The refusal of any person to honour or accept a Card.
- The rejection of any computer terminal, ATM or POS terminal.
- Effecting Transaction instructions other than genuine.
- Handing over of the Card by the Cardholder to anybody other than the assigned employees of the Bank at the Bank's premises.
- The exercise by the Bank of its right to demand and retain possession of the Card prior to the expiry date printed on its face, whether such demand and surrender is made and/or exercised by the Bank or any person or computer terminal, ATM or POS terminal.
- The exercise by the Bank of its right to h. terminate any Card.

- Any injury to the credit, character and reputation of the Cardholder alleged to have been caused by the non-acceptance of the Card and/or, any request for its return or the refusal of any Merchant Establishment to honour or accept the Card.
- Any mis-statement, misrepresentation, error or omission in any details disclosed by the Bank.
- d. Except as otherwise required by law, if the Bank receives any process, statement, order, injunction, execution decree, lien, information or notice which the Bank in good faith believes calls into question the Cardholder's ability, or the ability of someone purporting to be authorized by the Cardholder, to transact on the Card, the Bank may, at its option and without liability to the Cardholder or such other person, decline to allow the Cardholder to obtain any portion of his funds, or may pay such funds over to an appropriate authority and take any other steps required by applicable law.

e. The Bank reserves the right to recover from the Cardholder's Account a reasonable service charge and any expenses it incurs, including but not limited to reasonable legal fees, due to legal action involving the Cardholder's Account.

15. EXCLUSION FROM LIABILITY

a. In consideration of the Bank providing the Cardholder with the facility of the Card, the Cardholder undertakes to indemnify and keep the Bank indemnified from and against all actions, claims, demands, proceedings, losses, damages, personal inquiry costs charges and expenses which the Bank may at any time incur, sustain, suffer or be put to as consequence of or by reason of or arising out of providing the Cardholder the said facility of the Card and/or the Bank acting in good faith and taking or refusing to take or omitting to take action on the Cardholder's instructions and in particular arising directly or indirectly out of the wilful negligence, mistake or misconduct of the Cardholder; breach or non-compliance of the rules, terms and conditions relating to the Card and the Account and/or fraud or dishonesty relating to any Transaction by the Cardholder or his employees or agents.

b. The Cardholder agrees to indemnify the Bank for any machine/mechanical error/failure. The Cardholder shall also indemnify the Bank fully against any loss on account of misplacement by the Cardholder of his card/PIN and/or Cardholder's failure to produce, for the foregoing, the Bank shall be under no liability whatsoever to the Cardholder. Any delay or loss of any damage arising directly or indirectly out of:

- The refusal of any person to honour or accept a Card.
- The rejection of any computer terminal, ATM or POS terminal.
- Effecting Transaction instructions other than genuine.
- Handing over of the Card by the Cardholder to anybody other than the assigned employees of the Bank at the Bank's premises.
- The exercise by the Bank of its right to demand and retain possession of the Card prior to the expiry date printed on its face, whether such demand and surrender is made and/or exercised by the Bank or any person or computer terminal, ATM or POS terminal.
- The exercise by the Bank of its right to terminate any Card.

- Any injury to the credit, character and reputation of the Cardholder alleged to have been caused by the non-acceptance of the Card and/or, any request for its return or the refusal of any Merchant Establishment to honour or accept the Card.
- Any mis-statement, misrepresentation, error or omission in any details disclosed by the Bank.

d. Except as otherwise required by law, if the Bank receives any process, statement, order, injunction, execution decree, lien, information or notice which the Bank in good faith believes calls into question the Cardholder's ability, or the ability of someone purporting to be authorized by the Cardholder, to transact on the Card, the Bank may, at its option and without liability to the Cardholder or such other person, decline to allow the Cardholder to obtain any portion of his funds, or may

16. GLOBAL CARDHOLDER ASSISTANCE SERVICES (VISA/MASTERCARD/RuPay GLOBAL ASSISTANCE / EMERGENCY ASSISTANCE HELPLINES)

The multi-lingual Visa / MasterCard / RuPay Emergency Assistance Service Programs offer worldwide emergency referral assistance to Visa / MasterCard / RuPay Cardholders. These include a wide range of legal, medical and other services. The services covered under these facilities are provided by third-party service providers and are paid for by Visa / MasterCard / RuPay International. The Cardholder is responsible for the cost of any and all medical, legal or other services used under these facilities. Assistance is provided on a best effort basis and may not be available due to problems of time, distance or locations. The medical and / or legal professionals suggested and / or designated by Visa / MasterCard / RuPay International are not employees of Visa / MasterCard / RuPay International and, therefore Visa / MasterCard / RuPay International are not a responsible for the availability, use, acts, omissions or results of any medical, legal or transportation service. The Bank does not accept any responsibility for the arrangement or the cost of such services.

17. EXCLUSION FROM LIABILITY

a. In consideration of the Bank providing the Cardholder with the facility of the Card, the Cardholder undertakes to indemnify and keep the Bank indemnified from and against all actions, claims, demands, proceedings, losses, damages, personal inquiry costs charges and expenses which the Bank may at any time incur, sustain, suffer or be put to as consequence of or by reason of or arising out of providing the Cardholder the said facility of the Card and/or the Bank acting in good faith and taking or refusing to take or omitting to take action on the Cardholder's instructions and in particular arising directly or indirectly out of the wilful negligence, mistake or misconduct of the Cardholder; breach or non-compliance of the rules, terms and conditions relating to the Card and the Account and/or fraud or dishonesty relating to any Transaction by the Cardholder or his employees or agents.

b. The Cardholder agrees to indemnify the Bank for any machine/mechanical error/failure. The Cardholder shall also indemnify the Bank fully against any loss on account of misplacement by the Cardholder of his card/PIN and/or Cardholder's failure to produce, for the foregoing, the Bank shall be under no liability whatsoever to the Cardholder. Any delay or loss of any damage arising directly or indirectly out of:

- The refusal of any person to honour or accept a Card.
- The rejection of any computer terminal, ATM or POS terminal.
- Effecting Transaction instructions other than genuine.
- Handing over of the Card by the Cardholder to anybody other than the assigned employees of the Bank at the Bank's premises.
- The exercise by the Bank of its right to demand and retain possession of the Card prior to the expiry date printed on its face, whether such demand and surrender is made and/or exercised by the Bank or any person or computer terminal, ATM or POS terminal.
- The exercise by the Bank of its right to terminate any Card.

- Any injury to the credit, character and reputation of the Cardholder alleged to have been caused by the non-acceptance of the Card and/or, any request for its return or the refusal of any Merchant Establishment to honour or accept the Card.
- Any mis-statement, misrepresentation, error or omission in any details disclosed by the Bank.

d. Except as otherwise required by law, if the Bank receives any process, statement, order, injunction, execution decree, lien, information or notice which the Bank in good faith believes calls into question the Cardholder's ability, or the ability of someone purporting to be authorized by the Cardholder, to transact on the Card, the Bank may, at its option and without liability to the Cardholder or such other person, decline to allow the Cardholder to obtain any portion of his funds, or may

18. WITHDRAWAL OF FACILITIES

The Bank may, at its discretion, make available to the Cardholder various services on the Card, ATMs, POS Terminals, and/or other devices through shared networks from time to time for Cardholder's convenience and use. All fees and charges, related to Transactions done by the Cardholder at ATMs/POS, as determined by the Bank from time to time, will be recovered by a debit to his Account. The Cardholder understands and agrees that the Shared Networks may provide different functionalities and service offerings and different charges for different services. The Bank shall also, in its sole discretion, at any time, without incurring any liability for such action or without assigning any reason thereof, withdraw or cancel the facility of the Card or withdraw the Card itself, or withdraw any of the services provided under the Card, ATMs, POS Terminals, and/or other devices through shared networks without prior notice to the Cardholder.

19. DISCLOSURES

a. The Cardholder hereby expressly authorizes the Bank to disclose at any time and for any purpose, any information whatsoever relating to the Cardholder's personal particulars, accounts, transactions or dealings with the Bank, to any court of competent jurisdiction, quasi judicial authority, law enforcement agency, relevant wing of Central Government or State Government, RBI, Income Tax Authorities, Statutory Authorities, financial institution, Credit Bureaus / agencies or any company which is an affiliate or subsidiary company of the Bank, where the disclosure is required by law or otherwise to whom the Bank is under an obligation to disclose.

b. The Cardholder agrees to provide to the Bank information required by law or regulation, or any other information the Bank may reasonably request from time to time. The Bank reserves the right to disclose customer information, to any court of competent jurisdiction, quasi-judicial authorities, law enforcement agencies and any relevant authority, or any other person in the conduct of its business.

20. FEES/CHARGES

a. The Bank reserves the right to levy service charges as and when it deems fit and also reserves the right to revise the same.

b. The Bank reserves the right at any time to charge the Cardholder for the usage or reissue of a Card and/or any fees/charges for the Transactions carried out by the Cardholder at such rates as such fees and charges will be debited to the Cardholder's Account at the time the fee or charge is incurred. The operator of shared networks may impose an additional charge for each user/ their ATM / POS Terminal other devices, and any such charge alongwith other applicable fees/charges will be debited to the Cardholder's Account. There will be separate service charges levied for such facilities as may be announced by the Bank from time to time and debited to the Cardholder's Account.

c. In the situation that the Account does not have sufficient funds to debit such fees, the Bank reserves the right to deny any further Transaction. The decision of the Bank shall be binding on the Cardholder.

d. Any government charges, duty or debits or tax payable as a result of the use of the Card shall be the Cardholder's responsibility and if imposed upon the Bank (either directly or indirectly), the Bank shall recover such charges, duty or tax by debiting the Cardholder's Account without any notice.

e. The Card holder also authorizes the Bank to deduct from the account, and indemnifies the Bank against, any expenses including the sums, levied to legal expenses it may incur in recovering the money owed to it by the Cardholder in connection with the transactions with the Card.

In case the account gets overdrawn due to any reason, the Cardholder should provide enough funds to bring it in credit. In every occasion when the account is overdrawn, a flat fee is levied, in addition to the interest. The flat fee and interest shall be recovered at the rate determined by the Bank from time to time.

g. In the event of an Account being suspended or the Card Transactions, the Bank reserves the right to set off this amount against any credit lying in any of the Cardholder's other accounts held singly or jointly without giving any notice, wherever available.

h. Nothing in these terms and conditions shall affect the Bank's right of set-off, transfer and appropriation of monies pursuant to any other agreement from time to time subsisting between the Bank and Cardholder.

i. For details of Applicable fees and charges for issue / renewal / usage of the Card, visit Bank of India website (www.bankofindia.co.in)

21. DISPUTES

a. The Bank accepts no responsibility for refusal by any Merchant Establishment to accept and/or honour the Card or any dispute pertaining to a Transaction with a Merchant Establishment, a sales slip with the signature of the Cardholder together with the Card number noted thereon shall be conclusive evidence as between the Bank and the Cardholder as to the extent of liability incurred by the Cardholder and the Bank shall not be required to adduce that the Cardholder has duly received the goods purchased/to be purchased or has duly received the service/s to be availed to the Cardholder's satisfaction.

b. A sales slip with the signature of the Cardholder together with the Card number noted thereon shall be conclusive evidence as between the Bank and the Cardholder as to the extent of liability incurred by the Cardholder. The Bank shall make bonafide and reasonable efforts to resolve an aggrieved cardholder's disagreement with the Merchant establishment in the matter within two months of receipt of the notice of disagreement. If after such effort, the Bank determines that the Cardholder's claim is correct then it shall communicate the same to the cardholder along with details including a copy of the Sales Slips or payment requisition.

c. Any dispute in respect of a Shared Network ATM Transaction will be resolved as per regulations of the respective network. The Bank does not accept responsibility for any transactions the Cardholder may have on any Shared Networks. Should the Cardholder have any complaints concerning any shared Network ATM, the matter should be resolved by the Cardholder with the Shared Network, and failure to do so will not relieve the Cardholder of obligations to the Bank. However, the Cardholder should notify the Bank of the complaints.

22. INSURANCE BENEFITS

a. The Cardholder may, under the Card, be offered various insurance benefits from time to time by the Bank through a tie up with an insurance company. The Cardholder specifically acknowledges that he shall not hold the Bank responsible in any manner whatsoever for any deficiency or defect in such insurance cover, recovery or payment of compensation, processing or settlement of claims or otherwise howsoever, and all such matters shall be addressed to and sorted out directly with such insurance company.

b. The insurance company will be solely liable for settlement of the claim. Further, the Cardholder also agrees that the Bank may at any time (in its sole discretion and without giving any notice thereof to the Cardholder or assigning any reason thereof) suspend, withdraw or cancel the Cardholder's such insurance cover, and there will be no binding obligation on the Bank to continue this benefit.

23. MISCELLANEOUS

a. The terms and conditions for use of the Card are as specified in this document and as amended by the Bank from time to time. The Cardholder shall be deemed to have unconditionally agreed to and accepted these terms and conditions by signing the Card application form, or acknowledging receipt of the Card in transfer and by using/operation of the Card, or by performing a transaction with the Card or by retaining the Card beyond 10 days of the Card to the Bank or after 10 days having elapsed since the Card was dispatched to the address on record.

b. These terms and conditions will be in addition to and not in derogation of the terms and conditions relating to any account of the Cardholder. The Bank may also make changes in the terms and conditions without the Consent, if it is considered that the changes are necessary to maintain or restore the security of the electronic system or equipment used for the Card Transactions and/or for any other reasons whatsoever and the same shall be binding on the cardholder.

c. The Bank will not be responsible if the ATMs failed to dispense Cash due to breakdown of power, communication line, mechanical failure or for any reasons whatsoever beyond its control.

24. NOTIFICATION OF CHANGES

a. The Bank has the absolute discretion to withdraw the Card and/or the services thereby provided or amend or supplement any of the above terms and condition at any time without prior notice to the Cardholder.

b. All authorizations and power conferred hereunder are irrevocable.

25. GOVERNING LAW

a. The usage of the Card and the terms and conditions will be governed by the laws of India.

b. The Cardholder undertakes to comply with the applicable laws and procedures while availing of and utilizing the Card. All disputes are subject to the jurisdiction of the competent courts in Mumbai.

26. FORCE MAJEURE:

The Bank will not be responsible nor shall it be liable to indemnify the Cardholder in the event of any loss or damage suffered by the Cardholder due to any cause or reason beyond the control of the Bank.

27. UNSUCCESSFUL/FAILED TRANSACTION:

Failed Debit Card transactions will be reversed within 5 days. Bank will pay compensation @ Rs 100 per day for delay in reversal beyond 5 days.